पंजीयन क्रमांक. 1211/68

मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ

Madhya Pradesh Gazetted Officer's Association

(शासन द्वारा मान्यता प्राप्त)

प्रांतीय कार्यालय : एफ–85/51, तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.) 462003

प्रांताध्यक्ष	संरक्षक	वरिष्ठ संरक्षक	संयोजक एवं सलाहकार
डॉ. संतोष कुमार गांधी	**इंजी. डी.के. यादव**	**एस.एस. दांगी**	**अमर सिंह परमार**
मो. 9425004665	पूर्व प्रांताध्यक्ष	पूर्व प्रांताध्यक्ष	पूर्व प्रांताध्यक्ष
	मो. 9425017862	मो. 9425020084	मो. 9302234358

उपाध्यक्ष
आशुतोष गुप्ता – 9425342989
आलोक खरे – 9425030298
वीरेन्द्र कुमार – 9425365809
डॉ. सुरेश सिलावट – 9302100611
आर.पी. गुप्ता – 9425393348

महामंत्री
संतोष उईके – 9981475889
डॉ. बी.के. चौरसिया – 9926884511
संजीव कुमार शाक्य – 9425890328
एच.एन. त्रिपाठी – 7566639999
व्ही.आर.एस. चौहान – 9826454639

कोषाध्यक्ष
धर्मेन्द्र जोशी – 9425150009

सचिव
हिरेन्द्र कुशवाह – 9407212365
सोनवीर सिंह – 7470425543
महेश शर्मा – 8349328854
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद परमार – 9425650391
राजेश जैन – 9425141763
अनिल कुमार गुप्ता – 9893012312
एम.आर.धाकड़ – 9425307932
बालकृष्ण मोरे – 9424832570
आर. के. यादव – 9981250604
डॉ. उमाशंकर नगायच – 9407518452

संगठन सचिव
अरविन्द द्विवेदी – 8103256929

संयुक्त सचिव
भगवान सिंह मीना – 9425021636

सह सचिव
वाय. एस. ठाकुर – 9826573394

महिला प्रकोष्ठ (अध्यक्ष)
डॉ. सरोज यादव – 9165954020

महिला प्रकोष्ठ (कार्यकारी अध्यक्ष)
टीनी पांडे – 9826953908
प्रीति चौबे – 9826545245
इंदिरा दांगी – 9179131980
मंजू मरावी – 9826920680
डॉ. उमा कुमरे (परते) – 9009601380

दिल्ली प्रकोष्ठ (अध्यक्ष)
महेश गुलाटी – 9407233001

पेंशन प्रकोष्ठ (अध्यक्ष)
सुरेश वर्मा – 9425053239

पेंशन प्रकोष्ठ (कार्यकारी अध्यक्ष)
अमर सिंह मावई – 9893358055
जे.एस. गुर्जर – 9424454098
पंकज तिवारी – 9827060543
अजीत कुमार कुजूर – 9826848495
बी.एम. सिरसवार – 9826287870

कार्यकारिणी सदस्य
डॉ. ज्ञानेश शाक्य, सतीश मोरे, सुधीर श्रीवास्तव, अनुराग यादव, राकेश गुप्ता, अजय परियानी, देवेन्द्र कुमार खरे, गोपाल यादव, अशोक कुम्हार, जितेन्द्र सिंह परिहार, राजीव खरे, टी.एन.सिंह, अस्मिता अंबारे, रागिनी श्रीवास्तव, डॉ. राजीव मिश्रा, डॉ. मधुसूदन प्रकाश, डॉ. प्रतीक्षा सावले, श्रीमती सीमा कैलाशिया, श्री प्रवीण सिंह भाटी, डॉ. प्रभात पटेल, डॉ. अखिल सिटोके

पत्र क्रं/ म.प्र./राजपत्रित अधि./ 211/2026 भोपाल दि. 13/02/2026

प्रति,

प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

विषय:-मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये निर्धारित दिव्यांगजन/निःशक्तजन श्रेणी की अधिकतम आयु में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भ:-उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या डी-6/ई-1/2025, दिनांक 22.12.2025।

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित संलग्न विज्ञापन का अवलोकन करने का अनुरोध है, जिसके महत्वपूर्ण अनुदेय के अंतर्गत शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट मान्य की गई है। श्री रमेश त्रिपाठी, डाटा एंट्री ऑपरेटर से प्राप्त पत्र दिनांक 23.01.2026 संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है, जिसमें म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में दिव्यांगजन/निःशक्तजन श्रेणी की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित किये जाने का लेख किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की तुलना में मध्यप्रदेश राज्य में यह छूट 10 वर्ष कम है।

उपरोक्त के अनुक्रम में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में दिव्यांगजन/निःशक्तजन श्रेणी के अभ्यार्थियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 55 वर्ष किये जाने का अनुरोध है, ताकि मध्यप्रदेश राज्य के अभ्यार्थियों को भी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

13.02.26 13/02/2026

महामंत्री प्रांताध्यक्ष

प्रति,

प्रान्ताध्यक्ष जी,
मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ,
भोपाल, म.प्र.।

विषय:- दिव्यांगजन/निःशक्तजन श्रेणी की अधिकतम आयु में वृद्धि के संबंध में।

-00-

महोदय,

निवेदन है कि मैं, 75 प्रतिशत दोनों पैरों से अस्थि बाधित शासकीय सेवक हूँ। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्तमान में दिव्यांगजन/निःशक्तजन श्रेणी में अधिकतम आयु 45 वर्ष है। आगामी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अधिकतम आयु में 10 वर्ष की वृद्धि की जानी चाहिए।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन/निःशक्तजन श्रेणी के अभ्यार्थियों को 55 वर्ष तक परीक्षा में भाग लेने की पात्रता प्रदान है।

आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की अधिकतम आयु में वृद्धि कर मध्यप्रदेश के दिव्यांगजन/निःशक्तजन श्रेणी के अभ्यार्थी/शासकीय सेवक को अधिकतम आयु में वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाये ताकि वे इस सुविधा का लाभ लेकर अपना व समाज के विकास में बढ़-चढ़कर योगदान कर सकें।

अतः आपके निर्णय से मेरे और मेरे जैसे व्यक्तियों का भविष्य निर्माण करने में सहायता करेगा। आपके इस सहयोग के लिए मैं, आपका जीवन भर आभारी रहूँगा।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद्

संलग्नः-उ.प्र. लोक सेवा आयोग का नवीनतम विज्ञापन- 2025 का प्रारूप
एवं निःशक्तजन विकलांग प्रमाण-पत्र।

प्रार्थी

Ramesh Tripathi

दिनाँक:- 23/01/26

रमेश त्रिपाठी

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय।
2. डॉ. राजेश लाल मेहरा, अध्यक्ष, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर, म.प्र.।
3. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नं. 3, भोपाल, म.प्र.।

प्रार्थी

रमेश त्रिपाठी

पत्राचार का पताः- जी- 1/4, 102 क्वाटर्स, पुलिस वायरलेस कॉलोनी, भदभदा रोड, भोपाल, म.प्र. 462003 मो. नं. 9424426282
Email Address:- tripathiramesh06@yahoo.co.in

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
डी–6/ई–1/2025
दिनांक 22.12.2025

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: 22.12.2025

ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अन्तिम तिथि: 22.01.2026

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि: 29.01.2026

महत्वपूर्ण

(1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को **O.T.R.** पंजीकरण (**O.T.R. Registration**) कर **O.T.R.** नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट **https://otr.pariksha.nic.in** से ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त कर लें।
(c) ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट **https://uppsc.up.nic.in** पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा– **O.T.R.**, फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से सम्बन्धित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
(3) अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।
(4) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।
(5) अभ्यर्थियों को अपने ऑन–लाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑन–लाइन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथासमय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :– (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।
(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन सूचनाओं/निर्देशों हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगें।

1. ऑन–लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की **Website https://uppsc.up.nic.in** पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में O.T.R. BASED APPLICATION system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन–लाइन आवेदन ही करें।

ऑन–लाइन आवेदन'' करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:–
आयोग की Website **https://uppsc.up.nic.in** पर "ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं–

1- **User Instructions**
2- **View Advertisement**
3- **Apply**

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन–लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरें विज्ञापन के साथ ऑन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

'ऑन–लाइन आवेदन' करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :–

प्रथम चरण :– 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि :–
(i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **'Click here to Authenticate'** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई–मेल पर अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।
(ii) **'No'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो:– a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी. आर. वेब पोर्टल (**https://otr.pariksha.nic.in**) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण:– प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण:– द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:–
(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिन्ट **प्रिन्टर आइकन** पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate कर Login करने के उपरांत 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।
नोट:– ऑनलाइन शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण– तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।
(2) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आयोग के इस परीक्षा व आगामी समस्त परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार (प्रतिवारित) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
(3) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत् चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।
(4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(5) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
(6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(7) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।
(8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग के प्रश्नगत चयन व आगामी समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।
(9) (क) स्क्रीनिंग परीक्षा के पश्चात अथवा जब माँग की जाय अभ्यर्थियों को अपने ऑन–लाइन आवेदन की हार्ड–कापी के साथ ऑन–लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावो के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियां एवं विज्ञापन में अपेक्षित और कोई सूचना/अभिलेख आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में प्रेषित करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
(ख) अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा0 आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

2– आवेदन शुल्क : ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :–

(I) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग	–	आवेदन शुल्क रू 80/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग = रु0 105/-
(II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	–	आवेदन शुल्क रु0 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग = रु0 65/-
(iii) दिव्यांग श्रेणी	–	आवेदन शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग = रु0 25/-
(iv) भूतपूर्व सैनिक	–	आवेदन शुल्क रु0 40/-. + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग = रु0 65/-
(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी	–	अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

1– पशुधन विभाग, उ0प्र0

विभाग संख्या– सेवा–2/08
पद का नाम– पशुचिकित्सा अधिकारी
रिक्तियों की संख्या–

कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जा0	अनु0ज0 जा0	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्लू0 एस0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	पी0एच0	भू0पू0 सैनिक	महिला
404	243	84	37	00	40	08	16 (एल.वी.–06, एच.एच.– 05, डी.डब्ल्यू.–03, ए.ए.वी.–02)	20	80

पद का स्वरूप– समूह–'ख', राजपत्रित, वेतनमान– लेवल–10, ग्रेड–पे: रु. 5400 रु. 15600 – 39100/–,
आयुसीमा– न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)।

शैक्षिक अर्हताएँ :–

क– अनिवार्य अर्हताएं :–
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुधन में स्नातक (बी.वी.एससी. एण्ड ए.एच.) की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित मान्यता प्राप्त अन्य पशु चिकित्सा अर्हता।
(2) उत्तर प्रदेश पशु–चिकित्सा परिषद् से विधिवत् पंजीकृत होना आवश्यक है।
समकक्ष अर्हता– बी.वी.एससी. (बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस), जी.बी.वी.सी. (ग्रेजुएट ऑफ बंगाल वेटरनरी कॉलेज या ग्रेजुएट ऑफ बिहार वेटरनरी कॉलेज या ग्रेजुएट ऑफ बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज), जी.एम.वी.सी. (ग्रेजुएट ऑफ मद्रास वेटरनरी कॉलेज), एल.वी.पी. (लाइसेंस्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर) तथा अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित एम. आर.सी.वी.एस. (मेम्बर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ वेटरनरी सर्जन), बी.वेट.मेडि. (बैचलर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन), बी.वी. एम. (बैचलर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन), बी.वी.एससी. (बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस)।

ख– अधिमानी अर्हता :–
अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, यदि वह :–
(क) स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा या उच्चतर अर्हता रखता हो; या

(ख) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो ;या
(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

नोट :– प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की **एल0वी0, एच0एच0, डीडब्ल्यू0** तथा **ए0ए0वी0** उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।

पद की संगत सेवा नियमावली

- उत्तर प्रदेश पशु–चिकित्सा सेवा नियमावली, 2015

2– विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश

विभाग संख्या– सेवा–2/09, **पद का नाम**– विधीक्षण अधिकारी, **रिक्तियों की संख्या**– 01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः– लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षण– कोई नहीं, **पद का स्वरूप**– समूह–'ख', राजपत्रित, **वेतनमान**– लेवल–10, रू0 56100–177500/–, **आयुसीमा**– न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)।

शैक्षिक अर्हताएँ :–

क– अनिवार्य अर्हताएं :– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कला स्नातक उपाधि (एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य या हिन्दी साहित्य के साथ) या विज्ञान स्नातक उपाधि या वाणिज्य स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ तीन वर्षीय विधि स्नातक उपाधि

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पाँच वर्षीय विधि स्नातक की उपाधि।

समकक्ष अर्हता– भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या–03/2023/312/47–का–2–312 एलसी/2022 दिनांक 19.07.2023 का प्रवर्तनीय अंश निम्नवत् है :–"..........

3– उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:–

(1)– ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2)– उक्त बिन्दु सख्या–1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गयी हैं, उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:–

(1) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियाँ स्नातक के रूप में मान्य होगी।

(2) मानव संसाधान विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों/संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किये जायेंगे। (3) किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/विनियामक निकायों से, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। (4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ0प्र0 राज्य में लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा सेवा–नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।

ख– अधिमानी अर्हता :– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "ब" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या
(तीन) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो।

नोट :– प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की कोई उपश्रेणी चिन्हांकित नहीं है।

पद की संगत सेवा नियमावली

- उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा नियमावली, 2013 (यथा संशोधित)

3– परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश

विभाग संख्या– सेवा–6/03
पद का नाम– स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
रिक्तियों की संख्या–

कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जा0	अनु0ज0 जा0	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्लू0 एस0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों	पी0एच0	भू0पू0 सैनिक	महिला
221	143	21	15	20	22	04	00	11	44

पद का स्वरूप– समूह–'ख', राजपत्रित, **वेतनमान**– लेवल–7, रू0 44900–142400/–, **आयुसीमा**– न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)।

शैक्षिक अर्हताएँ :–

क– अनिवार्य अर्हताएं :–

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में या सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए।

नोटः– शासन के पत्र सं0–518/5–10–2024, दिनांक– 30.10.2024 के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में शामिल सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के अंतर्गत (1) सोशियोलॉजी (2) एन्थ्रोपोलॉजी (3) साइकोलॉजी (4) सोशल साइकोलॉजी (5) पॉलिटिकल साईन्स (6) ज्योग्राफी (7) हिस्ट्री और (8) इकोनामिक्स शामिल है।

ख– अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–
(एक) प्रसार कार्य का अनुभव; या
(दो) परिवार कल्याण कार्यकम के अधीन प्रशिक्षण।
(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो

या

(चार) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

नोट :– प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की कोई उपश्रेणी चिन्हांकित नहीं है।

पद की संगत सेवा नियमावली

- उत्तर प्रदेश प्रसार शिक्षक सेवा नियमावली, 1985 (यथा संशोधित)

4– खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश

विभाग संख्या– सेवा–6/04
पद का नाम– औषधि निरीक्षक
रिक्तियों की संख्या–

कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जा0	अनु0ज0 जा0	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्लू0 एस0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों	पी0एच0	भू0पू0 सैनिक	महिला
26	11	05	00	08	02	00	01 (एल.वी.–01)	01	05

पद का स्वरूप– समूह–'ख', राजपत्रित, **वेतनमान**– लेवल–8, रू0 47600–151100/–, **आयुसीमा**– न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)।

शैक्षिक अर्हताएँ :–

क– अनिवार्य अर्हताएं :–

(एक) नैदानिक भेषज विज्ञान या सूक्ष्म जीवविज्ञान में विशेषज्ञता के साथ, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भेषजी या भेषजिकी विज्ञान या आयुर्विज्ञान में उपाधि या समकक्ष उपाधि।

(दो) (क) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 की अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट पदार्थो में कम से कम एक पदार्थ के विनिर्माण में अठारह माह का अनुभव या

(ख) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा परीक्षण के प्रयोजनार्थ अनुमोदित प्रयोगशाला में औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट पदार्थो में कम से कम एक पदार्थ का परीक्षण करने का अठारह माह का

(ग) किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार में औषधि निरीक्षक के रूप में अपनी सेवा के दौरान औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट पदार्थो में से किसी पदार्थ विनिर्माण करने वाली फर्मों के निरीक्षण में तीन वर्ष का अनुभव।

समकक्ष अर्हता– बी0फार्मा या बैचलर इन फार्मास्युटिकल साइंसेज या बैचलर इन मेडिसीन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लीनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या फार्म डी।

ख– अधिमानी अर्हता :–

ऐसे अभ्यर्थी जिसने–
(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो

या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

नोटः– अनिवार्य अर्हता, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट पदार्थों के सम्बन्ध में विज्ञापित अर्हता के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो उस राज्य (जहाँ कम्पनी/फर्म स्थित हो) के औषधि नियंत्रक द्वारा सत्यापित हो।

नोट :– प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की **एल0वी0, एच0एच0, ओ0एल0** एवं **डीडब्ल्यू0** उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश राज्य औषधि नियंत्रण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1995
- उत्तर प्रदेश राज्य औषधि नियंत्रण राजपत्रित अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011
- उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग राजपत्रित अधिकारी (औषधि) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2014
- उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग राजपत्रित अधिकारी (औषधि) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2015

5– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश

विभाग संख्या– सेवा–8/02
पद का नाम– दन्त सर्जन
रिक्तियों की संख्या–

कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जा0	अनु0ज0 जा0	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्लू0 एस0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों	पी0एच0	भू0पू0 सैनिक	महिला
157	65	38	00	39	15	03	06 (एल.वी.–03, ओ.एल.–01, डी.डब्ल्यू.–01, ए.ए.वी.–01)	07	31

पद का स्वरूप– समूह–'ख', राजपत्रित, **वेतनमान**– लेवल–10, रू0 56100–177500/–, **आयुसीमा**– न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।)

शैक्षिक अर्हताएँ :–

क– अनिवार्य अर्हताएं :–

सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी कम से कम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.डी.एस. (दन्त शल्य–चिकित्सा का स्नातक) की उपाधि या इंडियन डेन्टल काउन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता रखता हो।

नोट :– 1. ऑन–लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व अनिवार्य रोटेटरी इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र होना चाहिए।
2. उ0प्र0 डेन्टल काउन्सिल में बी0डी0एस0 का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

समकक्ष अर्हता– कोई समकक्ष अर्हता निर्धारित नहीं है।

ख– अधिमानी अर्हता :– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने–
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो

या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

नोट :– प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की **एल0वी0, ओ0ए0, ओ0एल0, डीडब्ल्यू0** एवं **ए0ए0वी0** उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश दन्त सर्जन सेवा नियमावली, 1979 (यथा संशोधित)

6– आयुर्वेद निदेशालय, उत्तर प्रदेश

विभाग संख्या– सेवा–9/05
पद का नाम– चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद)
रिक्तियों की संख्या–

कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जा0	अनु0ज0 जा0	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्लू0 एस0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों	पी0एच0	भू0पू0 सैनिक	महिला
168	122	15	00	15	16	03	06 (एल.वी.–01, ओ.ए.–01, ओ.एल.–01, एल.सी.–01, डी.डब्ल्यू.–01, ए.ए.वी.–01)	08	33

पद का स्वरूप– समूह–'ख', राजपत्रित, **वेतनमान**– लेवल–10, रू0 56100–177500/–, **आयुसीमा**– न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।)

शैक्षिक अर्हताएँ :–

अ– अनिवार्यअर्हताएं :–

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 की आयुर्वेद में पाँच वर्ष की उपाधि या डिप्लोमा।
(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद उ0प्र0 से वैद्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण, और
(ग) राज्य के आयुर्वेदिक या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 06 माह का व्यवसायिक अनुभव।

ब– अधिमानी अर्हता :–

किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि।

नोट :– प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की **एल0वी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0** एवं **ए0ए0वी0** उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित)

7– आयुर्वेद निदेशालय, उत्तर प्रदेश

विभाग संख्या– सेवा–9/06,
पद का नाम– चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी)
रिक्तियों की संख्या–

कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जा0	अनु0ज0 जा0	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्लू0 एस0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों	पी0एच0	भू0पू0 सैनिक	महिला
884	318	180	19	279	88	17	35 (एल.वी.–06, ओ.ए.–06, ओ.एल.–06, एल.सी.–06, डी.डब्ल्यू.–06, ए.ए.वी.–05)	44	176

...प– समूह–'ख', राजपत्रित, वेतनमान– लेवल–10, रू0 56100–177500/–, आयुसीमा– न्यूनतम 21 ...तम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)।

...क अर्हताएँ :–

अ–अनिवार्य अर्हताएं :–

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद या यूनानी तिब में उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता;

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 से वैद्य या हकीम के रूप में रजिस्ट्रीकरण;

(ग) किसी राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 06 माह का व्यावसायिक अनुभव;

समकक्ष अर्हता– कोई समकक्ष अर्हता निर्धारित नहीं है।

ब– अधिमानी अर्हता :–

(एक) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद या यूनानी तिब में स्नातकोत्तर उपाधि

(दो) अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो

या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

नोट :– प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की एल0वी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डी0डब्लू0 एवं ए0ए0वी0 उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 2003

8– यूनानी निदेशालय, उत्तर प्रदेश

विभाग संख्या– सेवा–11/30

पद का नाम– चिकित्साधिकारी (यूनानी)

रिक्तियों की संख्या–

कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जा0	अनु0ज0 जा0	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्लू0 एस0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों	पी0एच0	भू0पू0 सैनिक	महिला
25	07	08	05	03	02	00	01 (ओ.एल.–01)	01	05

पद का स्वरूप– समूह–'ख', राजपत्रित, वेतनमान– लेवल–10, रू0 56100–177500/–, आयुसीमा– न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।)

शैक्षिक अर्हताएँ :–

अ– अनिवार्य अर्हताएं :–

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी तिब में उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 की यूनानी तिब में पाँच वर्ष की उपाधि या डिप्लोमा।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 से हकीम के रूप में रजिस्ट्रीकरण, और

(ग) राज्य के यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 06 माह का व्यावसायिक अनुभव।

ब– अधिमानी अर्हता :–

किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी तिब में स्नातकोत्तर उपाधि

नोट :– प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की एल0वी0, ओ0ए0, ओ0एल0 एवं ए0ए0वी0 उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथा संशोधित)

9– श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश

विभाग संख्या– सेवा–11/31

पद का नाम– चिकित्साधिकारी (होम्योपैथिक)

रिक्तियों की संख्या–

कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जा0	अनु0ज0 जा0	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्लू0 एस0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों	पी0एच0	भू0पू0 सैनिक	महिला
07	06	01	00	00	00	00	00	00	01

पद का स्वरूप– समूह–'ख', राजपत्रित, वेतनमान– लेवल–10, रू0 56100–177500/–, आयुसीमा– न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)।

शैक्षिक अर्हताएँ :–

अ– अनिवार्य अर्हताएं :–

(एक) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, जिसके पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन की अवधि पाँच वर्ष से कम न हो।

या

होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा जिसके पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन की अवधि चार वर्ष से कम न हो।

परन्तु प्रतिबंध यह है कि उपाधि धारकों को अधिमान दिया जायेगा।

(दो) आवेदक होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश से विधिवत् रजिस्ट्रीकृत अवश्य हो।

ब– अधिमानी अर्हता :–

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो

या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

नोट :– प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की उपश्रेणियाँ चिन्हांकित नहीं है।

पद की संगत सेवा नियमावली

- उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम, चिकित्सा (होम्योपैथिक) सेवा नियमावली, 1999

10– होम्योपैथी निदेशालय, उत्तर प्रदेश

विभाग संख्या–सेवा–11/32

पद का नाम– होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी

रिक्तियों की संख्या–

कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जा0	अनु0ज0 जा0	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्लू0 एस0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों	पी0एच0	भू0पू0 सैनिक	महिला
265	108	55	5	71	26	05	10 (एल.वी.–03, ओ.एल.–03, ए.ए.वी.–04)	13	53

पद का स्वरूप– समूह–'ख', राजपत्रित, वेतनमान– लेवल–10, रू0 56100–177500/–, आयुसीमा– न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)।

शैक्षिक अर्हताएँ :–

अ– अनिवार्य अर्हताएं :–

(एक) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिग्री, जिसके अध्ययन की अवधि उसके पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार पाँच वर्ष से कम न हो।

या

होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा जिसके अध्ययन की अवधि उसके पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार चार वर्ष से कम न हो।

(दो) प्रार्थी को होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

ब– अधिमानी अर्हता :–

ऐसे अभ्यर्थी जिसने–

(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो

या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

नोट :– प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की एल0वी0, ओ0एल0 एवं ए0ए0वी0 उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित)

नोटः– उपर्युक्त समस्त विभागों की रिक्तियों की संख्या परिस्थिति/आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।

चयन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

1. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

2. कार्मिक अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–151–आयोग/47–का–4–2023/15/19/18, दिनांक 29.10.2025 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियमावली–2025' तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त हो गयी है। उक्त नियमावली के संगत प्राविधान निम्नवत् हैः–

(क) सीधी भर्ती से सम्बन्धित सुसंगत सेवा नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, आयोग साक्षात्कार के लिये प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर सकता है।

(ख) जहां स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जानी है वहाँ केवल ऐसे अभ्यर्थी, जो स्क्रीनिंग परीक्षा में अर्ह हों, आयोग के मानक के अनुसार साक्षात्कार के लिये हकदार होंगे।

(ग) अन्तिम योग्यता क्रम स्क्रीनिंग परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक और साक्षात्कार में 25 प्रतिशत अंक जोड़कर योग्यता अवधारित किया जायेगा।

(घ) स्क्रीनिंग परीक्षा ऐसे स्थानों पर, दिनांक को और समय पर आयोजित की जायेगी जैसा आयोग द्वारा नियत किया गया हो।

3. स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगीः–

(a) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 अंक (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

(b) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(c) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

4. अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना सम्बन्धी गोलों को काला करके सही–सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जाएगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ह्वाइटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग भी न किया जाए। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

5. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि स्क्रीनिंग परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि स्क्रीनिंग परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

महत्वपूर्ण अनुदेश

1. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।

2. आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) 01 **जुलाई, 2025** है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों (केवल समूह 'ख' एवं 'ग' के पदों हेतु) (यह छूट केवल उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी) तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। इसी प्रकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या–1648/79–5–2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या–1508/15–08–2015–3057, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि + 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक उन्हें सेना से अवमुक्त होना आवश्यक है। शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

3. **आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु)**:– आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है, भी इस परीक्षा/चयन के लिये शासनादेश संख्या– 22/10/1976–कार्मिक–2–1985, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:– (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिए चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/ अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।

4. आयोग में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् धारित अर्हताओं तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. मूल प्रमाण–पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।

6. ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. अभ्यर्थी की पात्रता व अन्य के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

8. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

9. अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' में किये गये दावों (Claims) के समर्थन में निम्नलिखित मूल–प्रमाण–पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।

9.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण–पत्र।

9.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री/डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण।

9.3 शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामलों में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 5/2022/18/1/2008/47/

का–2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के साथ संलग्न प्रारूप–1 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

9.4 वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या– 22/21/1983–का–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अपेक्षित होगा।

9.5 किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या– 22/16/92–टी.सी.–III/का–2/2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी)/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत किया गया हो, मान्य होगा।

9.6 उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के पत्रांक 1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी.सी.–II दिनांक 18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा। ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण–पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 18.02.2019 के अनुरूप समस्त स्रोतों से प्राप्त आय आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।

9.7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र शासनादेश संख्या– 453/ 79–वि–1–15–1(क) 14–2015 दिनांक 07–04–2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

9.8 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट–1 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

नोटः– (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–5/2022/18/1/2008/47/का–2/2022, दिनांक–18 अप्रैल 2022 के बिन्दु–5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है–

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नही किया जा सकता है अर्थात दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये चिन्हित किया गया हो।

(2) शासनादेश संख्या–39 रिट/का–2/2019 दिनांक– 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या– 18/1/99/का–2/2006 दिनांक 09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर–4 में दिये गये प्राविधान, "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है" को रिट याचिका संख्या– 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (Ultra Vires) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर–04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरूद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या–475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

10. आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो।

11. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

12. आयोग से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, जन्म तिथि, O.T.R. तथा Application ID नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

13. अभ्यर्थियों को ऑन–लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा।

14. जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं, वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

15. कदाशय अर्थात् परीक्षा में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस चयन तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम–2024, दिनाँक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत् चयन में लागू रहेंगे।

16. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण–पत्र फर्जी अथवा कूट रचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

17. अभ्यर्थी को आन–लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के "मेल बॉक्स" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।

Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make submission of the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification type, directorate/department name and post name.

Personal Details from OTR

This section shows information about candidate's personal details i.e. candidate's name, Father/Husband's name, Gender, D.O.B., UP domicile, Category status, email and contact number, photo & signature, address, Freedom fighter of U.P., Ex-Servicemen of U.P., Service duration, P.H., Skilled Player and Outstanding sports person of U.P., Debarred candidates.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details.

Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are expected to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview the detailed submitted application form on clicking Preview button. Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in on-line application form. Being satisfied with filled details click on "Submit" button finally and get the print of submitted application form.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other Information candidates are advised to select desired option in the Commission's website **https://uppsc.up.nic.in**

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

- All Notifications/Advertisements

ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

- Candidate Registration
- Fee Deposition /Reconciliation
- Submit Application Form
- Modify Submitted Application
- Candidate Dashboard (OTR Based)

CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

- Double Verification mode
- View Application Status
- Download Admit Card
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- List of Applications Having any Objections
- Know your OTR number
- View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट–1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र (प्रारुप–II)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय– समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर........................
दिनांक .... पूरा नाम........................
मुहर .... पद नाम........................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र
(प्रारुप–I)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/ सुपुत्री .... निवासी .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की ....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
दिनांक .... पूरा नाम ....
मुहर .... पद नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

(प्रपत्र–I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम...

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र संख्या.................. **दिनांक ....**

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पति/पुत्री............................ .... ग्राम/कस्बा .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... तहसील .... जिला .... राज्य .... पिन कोड .... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैः–

I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ....(कार्यालय का मुहर सहित)
पूरा नाम ....
पदनाम ....
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र–II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र स्वयं घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... ग्राम/कस्बा .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... ब्लाक .... तहसील .... जिला .... राज्य .... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं .... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु .... (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) .... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः– जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :– आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

Form-II
Certificate of Disability
(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. **Date:**

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. ____________ son/wife/daughter of Shri __________ Date of Birth (DD/MM/YY) ________ Age ____ years, male/female __________ registration No. _________ permanent resident of House No. _______ Ward/Village/Street __________ Post office ________ District _______ State __________.

whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:
- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is__________

(A) he/she has ________% (in figure)________percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her______ (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/ blindness in relation to his/her______ (part of body) as per guidelines (............number and date of issue of the guidelines to be specified).

2.The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr...............) Member Medical Board with seal	(Dr...............) Member Medical Board with seal	(Dr...............) Chairperson Medical Board with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-III
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. ___________ son/wife/daughter of Shri ______________ Date of birth (DD/MM/YY) _________ age__________ years, male/female __________. Registration No. _________ permanent resident of House No. _________ Ward/Village/ Street _________ Post Office _______ District ________ State _______, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (......number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.......number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures................percent.

In words..percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/ after........... years........... months, and therefore this certificate shall be valid till ....

(DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

- e.g. Single eye

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV
Certificate of Disability
(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy

Certificate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. ________ son/wife/daughter of Shri ____________ Date of birth (DD/MM/ YY) _______ age_____ years, male/ female__________Registration No.__________ permanent resident of House No. ______________ Ward/Village/ Street________Post Office________District________ State_______, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of __________ Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (......number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability Speech and Language disability Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which is not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/ likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

   (i) not necessary, or

   (ii) is recommended/after...........years........... months, and therefore this certificate shall be valid till.... .... (DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

- e.g. Single eye/both eyes

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... निवासी ग्राम– .... नगर– .... जिला– .... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .... के आश्रित हैं।

स्थानः

दिनांकः

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी

(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक

28 नवम्बर, 1985

प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4

प्रारूप –1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री .... निवासी .... पूरा पता .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) .... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोट : यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) .... आयोजित राष्ट्रीय .... में (क्रीड़ा/खेल– कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र .... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोट : यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम ....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) .... विश्वविद्यालय की कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक ....से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय .... (क्रीड़ा/ खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्टे में .... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद .... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोट : यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... में .... स्कूल में कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोट : यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा .... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव

Department of Empowerment of Persons with Disabilities,
Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India

Disability Certificate

Issuing Medical Authority, Bhopal, Madhya Pradesh

Certificate No.: MP2730619790185167 **Date: 30/12/2021**

This is to certify that I/we have carefully examined Shri **Ramesh Tripathi**, Son of Shri **Krishna Kumar Tripathi**, Date of Birth **20/01/1979**, Age **43**, Male, Registration No. **2327/00000/2112/2645516**, resident of House No. **G 1/4, 102 Quarters Police Wireless Colony, Bhadbhada Road - 462003**, Sub District **Huzur**, District **Bhopal**, State / UT **Madhya Pradesh**, whose photograph is affixed above, and I am/we are satisfied that:

(A) He is a case of **Locomotor Disability**
(B) The diagnosis in his case is **Ortho**
(C) He has **75%**(in figure) **Seventy Five** percent(in words) Permanent Disability in relation to his BOTH LEG as per the guidelines (Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under RPwD Act, 2016 notified by Government of India vide S.O. 76(E) dated 04/01/2018).

The applicant has submitted the following document(s) as proof of residence:

Nature of Document(s): Aadhaar card

Ramesh Tripathi

Signature / Thumb Impression of the Person with Disability

Signatory of notified Medical Authority Member(s)

Issuing Medical Authority, Bhopal, Madhya Pradesh

This Card/Certificate is meant to certify the disability of the person and is not an instrument for ID/Address Proof for any purpose.